[illegible]
[illegible]
[illegible] किन्तु 1/6 भाग का खोल कर गलती
की है। वादी की मौखिक साक्ष्य से भी वादीगण के वाद पत्र के तथ्यों
की पुष्ठि होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादीगण अपने वाद पत्र को प्रमाणित करने मेंसफल रहे है तथा वादीगण का वाद डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर ग्राम साहिडा की आराजी खसा नम्बर 161/0.31, 173/0.43, 184/0.19, कुल किता 3 रकबा 0.93 हैक्टयर व खसरा नम्बर 193 रकबा 0.39 हैक्टयर कुल किता 1 रकबा 0.39 हैक्टयर में मोहनसिह पुत्र भम्बूसिंह हि. 1/6 के स्थान पर वादीगण राधेश्याम भरतसिंह शेरसिंह पि. हरिसिंह जाति राजपूत निवासी साहिडा तहसील महवा को खातेदार घोषित किया जाता है। मोहनसिंह पुत्र भम्बसिंह का नाम उक्त खसरा नम्बरों की खातेदारी से हजफ किया जाकर राधेश्याम भरतसिंह शेरसिंह पि. हरिसिंह जाति राजपूत निवासी साहिडा तहसील महवा का नाम दर्ज किया जावे। तदनुसार डिकी जारी हो।

वादीगण विकय पत्र की अवशेष भूमि के लिये यदि अन्य वाद प्रस्तुत करना चाहे तो इसके लिये वे स्वतंत्र रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11-02-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी